# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 240 **SM-PRO-2021-001499**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अरविंद लदहानी, पता–फ्लैट नं.–303, पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–'' पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था ''

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27/10/2021 | – प्रकरण प्रस्तुत ।<br>– अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट ''पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था'' रायपुर (छ.ग.) में ग्रुप हाउसिंग डेव्हलपमेंट करने हेतु छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराने हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।<br>भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा–3 के परिप्रेक्ष्य धारा–4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क छत्तीसगढ़ रेरा में जमा कराना अनिवार्य है। उक्ताशय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 3/रेरा/2018, दिनाँक 28/03/2018, क्रमांक 14/रेरा/2018, दिनाँक 27/07/2018 एवं आदेश क्रमांक 10/रेरा/2019, दिनाँक 10/01/2019 आदेश क्रमांक 11/रेरा/2019 दिनाँक 10/01/2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किए गए थे, जो कि प्राधिकरण के वेबसाइट पर सहज उपलब्ध है।<br>– परन्तु अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में पंजीयन हेतु आवश्यक समस्त अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्राधिकरण ने अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा–3 (1) एवं 11 (2) का उल्लंघन करने के कारण दिनाँक 22.09.2021 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया।<br>– अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया है कि उसने संपूर्ण जानकारी प्राप्त किये बगैर विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु वर्ष 2018 में आवेदन प्रस्तुत किया था। अनावेदक की ओर से श्री भरत खाखरिया ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान यह कथन किया है कि विवादित प्रोजेक्ट का विकास केवल परिवार के सदस्यों के लिये ही किया गया है तथा उक्त विकास कार्य बहुत समय पहले पूर्ण हो चुका है। अतः अनावेदक ने पंजीयन हेतु प्रस्तुत | |

प्रकरण कमांक – 240 **SM-PRO-2021-001499**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अरविंद लदहानी, पता–फ्लैट नं.–303, पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–'' पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था ''

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | आवेदन वापस लेने का अनुरोध किया है।<br>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। हाँलाकि अनावेदक ने विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु वर्ष 2018 में आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दिनाँक 31.05..2018 को पंजीयन शुल्क रूपये 12,750/– का भुगतान किया है। परन्तु अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज – फीस कैलकुलेशन शीट, रेरा विनिर्दिष्ट खाता विवरण, सर्च रिपोर्ट, विकास अनुज्ञा, Annexure-2,3,4,5, अनुबंध पत्र, नॉन इनकमब्रेन्स प्रमाण पत्र, कन्वेयन्स डीड, वर्क प्लान, अक्षांश एवं देशांश की जानकारी आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। हाँलाकि अनावेदक ने प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर विवादित प्रोजेक्ट को पूर्ण बताते हुये केवल परिवार के सदस्यों हेतु विकसित किये जाने का उल्लेख किया है। परन्तु अनावेदक ने इस संबंध में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अनावेदक द्वारा ना तो प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूर्ण किया गया है और ना ही अधिनियम के प्रावधानों अनुसार पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करने में कोई रूचि दर्शायी गई है। इस प्रकार अनावेदक का उक्त कृत्य अधिनियम की धारा–3 का उल्लंघन है, जो भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–59 अंतर्गत प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत तक की शास्ति तथा तीन वर्ष तक के कारावास से दंडणीय है। चूँकि अनावेदक ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, इसलिये अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु जमा राशि को राजसात करते हुये अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अनावेदक पर रूपये 20,000/– की शास्ति अधिरोपित करते हुये पंजीयन नहीं होने के कारण विवादित प्रोजेक्ट के अवैध होने की वजह से विवादित प्रोजेक्ट में क्रय–विक्रय को प्रतिबंधित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 240 **SM-PRO-2021-001499**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अरविंद लदहानी, पता–फ्लैट नं.–303, पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, रायपुर (छ.ग.)
प्रोजेक्ट–'' पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था ''

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | – उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :–<br>1) प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु जमा राशि को राजसात करते हुये अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाता है।<br>2) अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का पंजीयन नहीं कराये जाने के कारण विवादित अवैध प्रोजेक्ट में क्रय–विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुये अनावेदक पर राशि रूपये 20,000/– की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक उपरोक्तानुसार शास्ति की राशि को दो माह के भीतर निर्धारित शासकीय मद में जमा करना सुनिश्चित करे। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को यह निर्देशित किया जाता है कि प्रोजेक्ट में क्रय–विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में कलेक्टर–जिला–रायपुर (छ.ग.) तथा जिला पंजीयक, जिला–रायपुर (छ.ग.) को पृथक से पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करे।<br>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।<br>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे।<br><br>सही/– (राजीव कुमार टम्टा) **सदस्य**     सही/– (विवेक ढाँड) **अध्यक्ष** | |

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 240 **SM-PRO-2021-001499**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अरविंद लदहानी, पता–फ्लैट नं.–303, पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था ''

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

# छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक – 240 **SM-PRO-2021-001499**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री अरविंद लदहानी, पता–फ्लैट नं.–303, पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' पूज्य वीरबाई जलाराम गृह निर्माण सहकारी संस्था ''

| आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान | आदेश अथवा कार्यवाही | पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|